**समस्या**

खुले मैनहोल, नाले और खोदे गए गड्ढे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इनमें गिरने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले बुराड़ी के एक पार्क में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। बरसात के दिनों में इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि पानी भरा होने से गड्ढों का पता नहीं चलता है।

**कारण**

सिविक एजेंसियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जाता है। कई बार काम खत्म होने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। खुले नाले और मैनहोल को ढकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है।

**समाधान**

दिल्ली में खुले नालों व मैनहोल की पहचान कर उसे ढकने की जरूरत है। इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे कि वे सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं करें। पाइपलाइन, सीवर या अन्य काम के लिए खोदे गए गड्ढों के आसपास बच्चे नहीं पहुंच सकें इसका ख्याल रखना होगा।

# कब ढकेंगे गड्ढे

## लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

**बुराड़ी** इलाके में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जस्टिन नाम के बच्चे की मौत होने की घटना वाकई दुखद है। यह भी सच्चाई है कि इस तरह के हादसे आए दिन किसी न किसी सिविक एजेंसी की लापरवाही के चलते होते है। हमारे देश की सरकारी एजेंसियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कामकाज करने के लिए एक दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी है, लेकिन फील्ड में जब कर्मचारी काम करते है तो दिशा-निर्देशोंको नजरअंदाज कर देते है। जिससे इस तरह की घटनाएं होती है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उक्त हादसे के बाद दिल्ली जल बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगे तो सरकार ने तुरंत इसके जांच के आदेश दे दिए। स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्धारित समयसीमा के भीतर हादसे की पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की घटनाएं होने पर पहले भी जांच कराई गई होगी, लेकिन अब हालात बदल गए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी सरकार में भ्रष्टाचार व किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुराड़ी की तरह दिल्ली के किसी भी इलाके में जहां कोई निर्माण कार्य चल रहा है या किसी कारण वश गड्ढे खोदे गए हैं वहां अगर पूरी तरह सावधानी बरती जाए तो हादसे नहीं होंगे। यह पहला मामला नहीं है, जब किसी बच्चे को सरकारी एजेंसियों की लापरवाही की वजह से जान गंवानी पड़ी है। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड ही नहीं अन्य सभी एजेंसियों से भी सरकार अपील करती है कि वह सावधानी का जरूर खयाल रखें। ऐसी भी जानकारी मिली है कि बुराड़ी के जिस इलाके में जस्टिन नाम के बच्चे की मौत हुई, वहां निर्माण कार्य के दौरान न कोई चेतावनी दी गई, न बैरिकेड लगाए गए और न ही दिवार बनाई गई थी। सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए है। लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।

**कपिल मिश्रा,** दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष व दिल्ली सरकार के मंत्री

( आशुतोष झा से बातचीत पर आधारित )

## भारी पड़ रही है प्लानिंग की उपेक्षा

**आरजी गुप्ता** दिल्ली (विकास प्राधिकरण के पूर्व योजना आयुक्त)

**किसी की** लापरवाही से बच्चों की मौत हो जाना दुखद है। इस तरह किसी की जान नहीं जाए इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाना होगा। समस्या का मूल कारण प्लानिंग को नजरअंदाज करना है। पहले ऐसा नहीं था। प्लानिंग को पूरा महत्व दिया जाता था। 1965 में बेहतरीन लैड यूज प्लान बनाया गया। फिर से प्लानिंग को महत्व देना होगा। सिर्फ अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि निर्माण कार्य के लिए जगह की पहचान करने के बाद सबसे पहले पानी, सीवरेज, बिजली सप्लाई लाइन, सड़क, मेट्रो, गैस लाइन आदि के लिए स्थान निर्धारित कर दिया जाए। गैर योजनागत तरीके से हो रहे निर्माण में इन बुनियादी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है। अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा है जिसमें न तो बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और न सुरक्षा के मानकों एवं आपदा प्रबंधन का इंतजाम होता है। कॉलोनी बसने के बाद सीवर व पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होता है। इसके लिए खोदाई कर छोड़ दिया जाता है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। काम भी धीमी गति से चलता है जिससे परेशानी और बढ़ जाती है।

भ्रष्टाचार और लापरवाही भी समस्या का बड़ा कारण है। इसलिए इस पर अंकुश लगाना होगा। भ्रष्ट और लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। निर्माण कार्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कई स्थानों पर नियमों का पालन नहीं होता है। सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय किए बगैर गड्ढों की खोदाई और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। रखरखाव के अभाव में कई स्थानों पर मैनहोल खुले रहते है जो खतरनाक है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भरने से मैनहोल का पता नहीं चलता है और लोग इसमें गिरकर जख्मी हो जाते है। सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता जरूरी है। लोग नालों और सड़कों पर कब्जा कर रहे है। इन वजहों से भी दुर्घटनाएं होती है। हमें यह याद रखना होगा कि इस तरह की लालच का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ध्यान देना होगा। कहीं पर खुला नाला, मैनहोल या गड्ढा दिखे तो जिम्मेदार नागरिक की तरह इसकी सूचना संबंधित विभाग को देनी चाहिए।

( संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित )

## लापरवाह ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई

**दिल्ली** जल बोर्ड द्वारा बुराड़ी में खोदवाए गए गड्ढे में गिरने से पिछले दिनों एक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना दुखद है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है जिसमें सिविक एजेंसियों की लापरवाही से किसी बच्चे की मौत हुई हो।

मई में भी लोक निर्माण विभाग के एक नाले में बच्चे की गिरने से मौत हो गई थी। इस तरह की कई अन्य घटनाएं हो चुकी है। देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। इससे यह भी पता चलता है कि सिविक एजेंसियां लापरवाही से काम करती है और उनकी यह लापरवाही बच्चों के जीवन पर भारी पड़ रही है। दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा ठेकेदार से जो काम कराए जाते है उसमें इस तरह की लापरवाही ज्यादा हो रही है। ठेकेदार और संबंधित जूनियर इंजीनियर लापरवाही बरतते है और बड़े अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते है। दुर्घटना होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही है।

सीवर और पानी की पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोदते हैं, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर भरा नहीं जाता है। इस तरह के गड्ढे बच्चों की मौत का कारण बनते है। इसलिए जरूरी है कि काम के समय खोदे गए गड्ढे को ठीक ढंग से कवर किया जाए जिससे कि कोई भी उसके आसपास नहीं पहुंच सके। वहीं, काम खत्म होने के बाद इसे ठीक से भरा जाना चाहिए।

इस काम में लापरवाही नहीं हो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी मौके का निरीक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही आसपास के लोगों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक और सचेत रहने की जरूरत है। यदि उन्हें इस काम में कोई लापरवाही दिखे तो तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए।

दिल्ली में जो नाले खुले हुए है या सीवर लाइन क्षतिग्रस्त है, उनकी पहचान कर ढकने की जरूरत है। नियमित रूप से नालों और सीवर लाइन की जांच होनी चाहिए और कहीं पर यह खुला मिले तो उसे तुरंत ढकने की व्यवस्था की जाए। स्कूलों, पार्कों व अन्य ऐसे स्थान जहां बच्चे जाते हों वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

( संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित )

**अशोक भसीन** (उत्तरी दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष)

**जनमत**

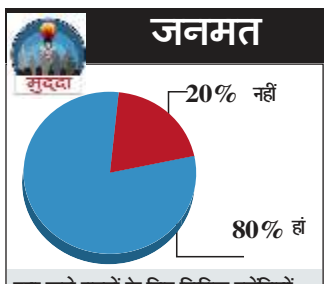


क्या खुले गड्ढों के लिए सिविक एजेंसियों की आपसी तनातनी जिम्मेदार है?

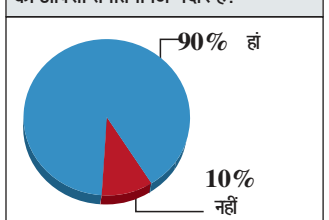


क्या काम खत्म होने के बाद गड्ढों को नहीं भरने पर संबंधित एजेंसियों पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए?

## सिविक एजेंसियों के बीच तालमेल जरूरी : फिरोज अहमद

**फिरोज अहमद** (चीफ इंजीनियर, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम)

**दिल्ली में** कई सिविक एजेंसियां है जिनके तहत सीवरेज व नालियां आती हैं। दिल्ली जल बोर्ड के तहत बड़ी नालियां आती हैं और नगर निगमों के पास छोटी नालियां व सीवरेज हैं। सीवरेज को साफ करने के लिए जगह- जगह मैनहोल बनाया जाता है। जिस पर लोहे व सीमेंट के ढक्कन लगाए जाते हैं। ये ढक्कन तीन वजहों से टूट जाते हैं। पहला कारण, खराब गुणवत्ता होना, दूसरा लोहे के ढक्कन का चोरी होना और तीसरा कारण गाड़ियों के भारी दवाब के कारण ढक्कन का टूटना है। नगर निगमों के क्षेत्रों में आने वाली सीवर लाइनें बेहद छोटी और करीब ढाई फीट गहरी होती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के तहत आने वाली सीवर लाइनें बड़ी और गहरी होती हैं। वहां किसी भी दुर्घटना की ज्यादा आशंका होती है। मैनहोल का ढक्कन टूटने की सूरत में उसे तुरंत लगाने का नियम है, लेकिन इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कई बार मैनहोल का ढक्कन कई दिनों से गायब होता है और इस संबंध में निगमों को कोई जानकारी नहीं हो पाती। निगमों ने इसके लिए भी सभी केंद्रों पर दफ्तर बना रखे है। सभी जोन में मैनहोल के ढक्कन रखे जाते हैं, लेकिन सिविक एजेंसियों के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। कई बार मैनहोल की शिकायतें निगमों के पास आती हैं, मगर वो क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र के बाहर होता है। इन शिकायतों को उन विभागों में भेजा जाता है, क्योंकि उस पर कार्रवाई उन्हीं विभागों को करनी होती है। पहले जल बोर्ड नगर निगमों के तहत आता था, लिहाजा सीवर लाइनों के मैनहोल की देखरेख का काम निगमों का था, लेकिन अब साठ फीट से कम चौड़ी सड़कों व गलियों के मैनहोल की मरम्मत का काम निगमों के तहत है। मैनहोल लगाने के लिए निगमों ने पार्षदों के दफ्तरों में भी शिकायत केंद्र खोल रखा है। लोगों को भी इस संबंध में जागरूक होना पड़ेगा। तभी खुले मैनहोल के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बंद हो सकेंगी।

(विजयालक्ष्मी से बातचीत पर आधारित)

# अब रिमोट से जलाई जाएंगी स्ट्रीट लाइटें

## एक महीने में दुरुस्त की जाएंगी खराब एलईडी लाइटें

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों को अब रिमोट से नियंत्रित किया जा सकेगा। अगले दो महीनों में दक्षिणी दिल्ली की स्ट्रीट लाइटों पर लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रणाली के लिए करीब सवा तीन हजार से ज्यादा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे। मौजूदा समय में आठ सौ से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों पर कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम पूरा हो चुका है।

- दक्षिणी दिल्ली में लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे
- स्थानीय स्तर के बजाय निगम मुख्यालय से होगा संचालन

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त डॉ. पीके गोयल ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला जा रहा है। इसके साथ इन खंभों पर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है। पूरी प्रणाली को निगम मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। वहीं से लाइटें जलाई और बंद की जा सकेंगी। इस सिस्टम को लगाने वाली कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि इस प्रणाली से कंपनी को स्ट्रीट खंभों में आने वाली तकनीकी खराबी के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसी आधार पर इसे तुरंत ठीक किया जा सकेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। निगम मुख्यालय में ही करीब सवा तीन हजार कंट्रोल सिस्टम का केंद्र बनेगा।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में स्ट्रीट लाइटों का संचालन स्थानीय लोगों के हाथों में है। इसी कारण कई स्थानों पर लाइटें दिन में भी जलती रहती हैं। कई स्थानों पर खंभों पर ही स्वीच लगाए गए हैं, लेकिन वहां भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। दिन में भी लाइटें जलती रहने से बिजली के बर्बाद होने के साथ-साथ लाइटों के खराब होने के भी मामलों में वृद्धि हुई है। लिहाजा इस नए तकनीक से निगम और लोगों को स्ट्रीट लाइटें स्वयं जलाने और बंद करने के झंझट से छुटकारा मिलेगा।

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षदों की शिकायतों को देखते हुए स्ट्रीट लाइटों पर लगी एलईडी लाइटों में आ रही तकनीकी खामियों को एक महीने में दुरुस्त कर दिया जाएगा। एलईडी लाइट लगाने वाले कंपनी ईईएसएल ने इसके लिए तकनीकी टीम का गठन किया है। इसके साथ ही दक्षिणी निगम ने इस समस्या को देखते हुए अब बीएसईएस को स्ट्रीट लाइटों की देख-रेख का जिम्मा सौपा है। इसके अलावा हर एक वार्ड में तकनीक विशेषज्ञों की देख-रेख में दो सदस्यों की टीम का गठन किया है।

गौरतलब है दक्षिणी दिल्ली में एलईडी लाइट्स में आ रही खराबी का मुद्दा कई बार सदन की बैठक में उठाया जा चुका है। पार्षदों के मुताबिक कई स्थानों पर एलईडी लाइटें जलती ही नहीं है। इन शिकायतों को देखते हुए निगम ने इस मुद्दे की जांच कराई। मंगलवार को इस संबंध में आयोजित एक प्रेस वार्ता में निगमायुक्त डॉ. पुनीत गोयल ने बताया कि बिजली कंपनी बीएसईएस और एलईडी लाइटें लगाने वाले वेंडर्स के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण लाइटों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। इसे दूर करने के लिए अब सिर्फ बीएसईएस को काम सौपा गया है। इसके अलावा पार्षदों को भी इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। निगम क्षेत्र में अब तक करीब एक लाख 98 हजार से ज्यादा लाइटें लग चुकी है और अब सिर्फ पांच फीसदी काम बचा हुआ जो 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के साथ 60 हजार से ज्यादा लाइटें लगाने के संबंध में करार किया जाएगा। एलईडी लाइटें लगाने वाली कंपनी ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि एलईडी लाइटें लगाने के लिए कंपनी ने निगम से कोई राशि नहीं ली है। निगम के साथ सात साल का करार है, जिसके तहत निगम इससे होने वाली बिजली बिल की कटौती वाली राशि कंपनी को देगा। हर साल निगम को स्ट्रीट लाइटों पर 104 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एलईडी लाइटें लगाने के बाद निगम का खर्च आधे से भी कम हो गया है। अब निगम को 48 करोड़ रुपये की बचत हो रही है, जो वो कंपनी को देगा। कंपनी ने अपने खर्चे पर सारी स्ट्रीट लाइटें एलईडी में बदलने का काम किया है। एलईडी लाइटों में कोई खराबी नहीं आई है, उसे लगाने वाले तकनीकी जानकारों के कारण समस्या पैदा हुई है। इसी समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने सभी वार्डों में अपने सुपरवाइजर भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने दिल्ली के अलावा पुदुचेरी, जयपुर में भी एलईडी लाइटें लगाने का काम किया है। वहां लाइटें खराब होने की कोई शिकायतें नहीं है। पार्षदों की शिकायतों को देखते हुए कंपनी ने उन स्थानों का सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि कमी तकनीकी जानकारों के बीच तालमेल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है।

**एक महीने में आई 14000 शिकायतें :** एलईडी लाइटों को लेकर एक महीने में कंपनी के पास 14 हजार शिकायतें आई, जिसमें से अब तक नौ हजार शिकायतें दूर की जा चुकी हैं। पांच हजार शिकायतों पर तेजी से काम किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।

संवाददाता सम्मेलन में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लगने वाली एलईडी लाइटों के बारे में बताते ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार। उनके साथ हैं निगमायुक्त डॉ. पुनीत कुमार गोयल। जागरण

## टाटा 407 पेड़ से टकराई एक व्यक्ति की गई जान

**जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली :** नरेला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टाटा 407 पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सुरजीत (26) के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान ड्राइवर संजय और एक अन्य मजदूर रवि के रूप में हुई है। वाहन एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सामान लेकर मटियाला से नरेला आ रहा था। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे नरेला-बवाना रोड पर महाराजा अग्रसेन स्कूल के पास हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि केबिन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसमें बैठे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को पीछे कर तीनों घायलों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने सुरजीत को मृत घोषित कर दिया। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

नरेला में हुई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन व घायल। जागरण

## ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या

**जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली :** बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान राम सिंह (39) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार राम सिंह बेगमपुर स्थित जैन नगर में रहता था। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी सुनीता का देहांत हुआ है। मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे उसका शव घर में ही पड़ा मिला। उसके गले को धारदार हथियार से रेता गया था वहीं सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

## आप कार्यकर्ता पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

**जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली :** बवाना थाना क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर एक महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप आम आदमी पार्टी के बवाना जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अमन कुमार पर लगे हैं। महिला आरोपी की रिश्ते में चाची लगती है। महिला की शिकायत पर बवाना थाना पुलिस ने 20 जुलाई को मामला दर्ज किया और मामले की जांच कर रही है।

- बवाना जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष ने आरोपों को नकारा

प्राप्त जानकारी के शिला (48) पुठ खुर्द गांव की निवासी है। शिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमन कुमार ने उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी थी। इस विवाद का कारण एक प्लॉट है। शिला के मुताबिक अमन कुमार उसके प्लॉट पर गोदाम बना रहा है, जिसे उसने बंद करने के लिए कहा। इस पर अमन कुमार ने उसके साथ मारपीट की और उसे नाले में धकेल दिया और जान से मारने की धमकी भी दी।

वहीं, शिकायकर्ता महिला का उसके पति से तलाश का केस रोहिणी कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अमन कुमार से बात करने पर उन्होंने कहा कि सारे आरोप गलत हैं। मेरे आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के चलते मामले को जबरन विरोधी पार्टी के नेता राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मेरे द्वारा न तो कोई मारपीट की गई और न ही कहीं गोदाम बनाया जा रहा है।

## एक की संदिग्ध हालात में मौत

**जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :** खजूरी इलाके में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत (28) के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

रंजीत अपने परिजनों के साथ 16/517 बाबा नगर, करोलबाग में रहता था। परिवार में उसके चाचा कमल और अन्य सदस्य हैं। परिजनों ने बताया कि वह रविवार गत 18 को खजूरी में अपने मौसा सुभाष के घर आया था। उसके अगले दिन वह सुबह करीब 6 बजे वापस घर जा रहा था। इस दौरान वह खजूरी फ्लाईओवर के पास संदिग्ध हालात में मिला। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान सोमवार शाम करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक, मौत का कारण सड़क हादसा बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस अन्य मामलों को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

## फर्श बाजार इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत

**जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :** फर्श बाजार इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 24 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम करा कर उसे परिजनों को सौप दिया है।

- करीब चार महीने पहले ही हुई थी उसकी शादी

सचिन अपने परिजनों के साथ मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र इलाके में गली नंबर-दो, विश्वकर्मा गेट, राम नगर में रहता था। परिवार में पिता हरिओम, मां सुधा और पत्नी ज्योति है। वह किराने की दुकान चलाता था। करीब चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार शाम अपने दोस्तों के साथ भोला नाथ नगर में खाटू श्याम का जागरण देखने गया था। भगवान के सामने मत्था टेकने के बाद वह वापस आ रहा था। इसी दौरान उसका पैर वहां बिछे नंगे बिजली के तार पर पड़ गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में इस घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया है।

## वेलकम इलाके में एक महिला ने की खुदकशी

**जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :** वेलकम इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। उसकी पहचान ललिता (30) के रूप में की गई है। पुलिस को उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

ललिता अपने परिजनों के साथ डी-एक, झुग्गी नंबर-तीन, वेलकम में रहती थी। परिवार में पति इकबाल, दो बेटे आमिर और आसिफ है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसने दूसरी मंजिल पर पंखे की सहायता से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारा और उसे गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।